

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक:-प.1(ग)()का/एसएमई/डीएलबी/17/५५/४६

दिनांक:-१०/४/१७-

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के सुगम व सुव्यवस्थित संचालय हेतु प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा-336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिपिकवर्गीय व अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	कहां से	कहां को
01.	श्री शिवलाल बाना	स्वारथ्य निरीक्षक	नगर पालिका, मकराना (स्थानान्तरणाधीन)	नगर पालिका, मेडतासिटी यथावत्
02.	श्री योगेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक	नगर पालिका, सादुलशहर	नगर पालिका, श्रीकरणपुर
03.	श्री कंवर लाल	कनिष्ठ लिपिक	नगर पालिका, नावां	नगर पालिका, कुचामनसिटी
04.	श्री पवन कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	नगर पालिका, डेगाना (स्थानान्तरणाधीन)	नगर पालिका, मेडतासिटी यथावत्
05.	श्री चन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	नगर पालिका, सोजतसिटी	नगर पालिका, जैतारण
06.	श्री राजेन्द्र कुमार चौबेदार	फायरमैन	नगर निगम, जोधपुर	नगर परिषद्, सवाईमाधोपुर
07.	श्रीमती उषा यादव	फायरमैन	नगर पालिका, राजगढ़ (अलवर)	नगर पालिका, अलवर
08.	श्री विक्रम सिंह यादव	फायरमैन	नगर पालिका, तिजारा (स्थानान्तरणाधीन)	नगर पालिका, बहरोड यथावत्
09.	श्री बलराम सिंह	फायरमैन	नगर परिषद्, पाली	नगर परिषद्, ब्यावर
10.	श्री कुलदीप सिंह शक्तावत	फायरमैन	नगर निगम, उदयपुर	नगर पालिका, देवली
11.	श्री प्रदीप सिंह शक्तावत	फायरमैन	नगर निगम, उदयपुर	नगर पालिका, देवली

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कोई कर्मचारियों दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक् हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. कर्मचारी को प्रथम पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

(मुकेश कुमार मीना)
 अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:-एस्टे/एम/एफ.10()/आरएमएस(टी)/डीएलबी/17/५४१८७-५४२१४ दिनांक:-१०/८/१३
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, एवं न. वि. वि. राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. महापौर / सभापति / अध्यक्ष / आयुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका....
-
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर / जोधपुर / भरतपुर / उदयपुर / जयपुर / बीकानेर / कोटा।
5. श्री स्वास्थ्य निरीक्षक / कनिष्ठ लिपिक / फायरमैन, नगर निगम / परिषद / पालिका / को पालनार्थ।
6. सुरक्षित पत्रावली।

मुकेश कुमार मीना
अतिरिक्त निदेशक